

राजस्थानसरकार  
आयुर्वेद एवंभारतीय चिकित्साविभाग

क्रमांक-एफ.10(1)आयु./2019 पार्ट-।

जयपुर, दिनांक : 06 AUG 2021


--: आदेश ::--

निम्नांकित अधिकारियों के प्रशासनिक कारणों से लोकहित में स्थानान्तरण/पदस्थापन उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से किया जाता है :-

क्र.स.	नाम कार्मिक	पद	वर्तमान पदस्थापन	नवीन पदस्थापन स्थान	विशेष विवरण
1	डॉ भगवानदास	यूनानी चिकित्साधिकारी	राज. यूनानी, चिकि. , जैसलमेर	सीएचसी बोरुन्दा, जोधपुर	डॉ जमाल अहमद खान के स्थान पर
2	डॉ जमाल अहमद खान	यूनानी चिकित्साधिकारी	सीएचसी बोरुन्दा, जोधपुर	राज. यूनानी, औष. गुलजारपुरा-जोधपुर	रिक्त पद पर

नोट:-

1. उक्त में से जिन अधिकारियों का स्थानान्तरण/पदस्थापन प्रशासनिक कारणों से किये गये हैं, को नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय होगा।
2. उपर्युक्त स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश में किसी अधिकारी/पदस्थापन स्थान के संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश हो, तो उस की क्रियान्विति निदेशालय/शासन से पूर्व अनुमति उपरान्त ही किया जाना सुनिश्चित करें।
3. किसी अधिकारी द्वारा पूर्व में ही माननीय न्यायालय द्वारा स्थगन प्राप्त कर रखा हो, तो उसकी क्रियान्विति विधिक परामर्श उपरान्त सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर करें।
4. पंचायत राज चुनाव की आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित की जावें।

आज्ञा से  
  
(आर.एन. शर्मा)  
उप शासन सचिव

निदेशालय यूनानी चिकित्सा विभाग राजस्थान जयपुर

आयुष भवन सेक्टर 26, प्रतापनगर जयपुर-302033 फोन नं. 0141-2796625 ईमेल-directorunani@rajasthan.gov.in  
क्रमांक/प्रति-1/यूनानी चिकि./स्थानान्तरण/2021-22/2394 दिनांक: 06.08.2021

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. उप शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग राजस्थान जयपुर।
2. नोडल अधिकारी, निदेशालय यूनानी चिकित्सा विभाग राजस्थान जयपुर को दी जाकर लेख है कि संबंधित को जरिय ई-मेल व विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
3. चिकित्सा प्रभारी, राजकीय यूनानी चिकित्सालय/औषधालय/सीएचसी/पीएचसी/जिला चिकित्सालय को देकर लेख है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश पर माननीय न्यायालय से स्थगन या अन्य आदेश प्राप्त किये जाते हैं तो निदेशालय/शासन स्तर से पूर्व अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्यभार ग्रहण किया/करवाया जावे।
4. संबंधित अधिकारी .....
5. समस्त शाखा कार्यालय हाजा/रक्षित पत्रावली।

  
निदेशक